हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
...

संख्या: एफ•डी•एस•ए•(3)-10/77-II, तारीख शिमला-171002, 25•3•1997

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चौकीदार (वर्ग-IV) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में चौकीदार (वर्ग-IV) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। 2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या-1-13/71-कोप (एफ•एण्ड एस•), दिनांक 20•5•1972 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा क्लास-IV सर्विसिज़ (रेक्रूटमैन्ट प्रमोशन एण्ड सर्टेन कन्डीसन्ज आँफ सिर्विसिज़) रूल्ज़, 1972 का उस विस्तार तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है जहाँ तक कि ये चौकीदार-कम-स्वीपर के पद को लागू हैं।

(2) परन्तु ऐसे निरसन से उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात अथवा कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
पी•एस•राणा,
वित्तायुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0: एफ.डह.एस.ए.(3)-10/77-II, तारीख, शिमला-2, 25.3.97

प्रतिलिपि प्रेषित है :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-171002.
5. सचिव, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-171004.
6. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
8. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। उनसे अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की 50 प्रतियां निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें ।
9. नियंत्रक, विधिक माप-विज्ञान(तोल-माप), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171004.
10. सहायक विधायी प्रारूपकार(हिन्दी), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.
11. संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
12. गार्ड नस्ति 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध "अ"

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हिमाचल प्रदेश में चौकीदार (अराजपत्रित) श्रेणी-IV के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम	:	चौकीदार
2. पदों की संख्या	:	108 (एक सौ आठ)
3. वर्गीकरण	:	वर्ग-4 (अराजपत्रित)
4. वेतनमान (विस्तृत रूप से अंकित करें)	:	750-न्यूनतम 770-30-950-35-1160-40-1320-45-1410
5. चयन पद अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	:	18 से 35 वर्ष ।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं । किए गए थे ।

	(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है । (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ :	(क) अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राईमरी पास और उसके समकक्ष । (ख) वांछनीय अर्हतायें : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएँ : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति -- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता :	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा :	लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी कि सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा/	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :- (क) भारत का नागरिक या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व, भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया,

युगाण्डा, युनाईटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तन्जानिया और जंजीबार), जाम्बिया, मालवा, जेयर और इथोपिया से, भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है,

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही, दिया जाएगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

16. आरक्षण : उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के, अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को अभिलिखित करके और आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।